



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269474
CG-DL-E-21012026-269474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 268]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 296(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के शिवमोग्गा जिले में NH169 के डिज़ाइन किमी 25.15 से किमी 60.00 (सीएच किमी 52.70 से किमी 53.50 को छोड़कर (नेल्लिसारा शिविर को तीर्थहल्ली खंड) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्विज़िशन आफिसर अंड कंपोटेंट, अथारिटी नेशनल हाइवे, के.आर्. सर्कल, बेंगलूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के शिवमोग्गा जिले में NH169 के डिज़ाइन किमी 25.15 से किमी 60.00 (सीएच किमी 52.70 से किमी 53.50 को छोड़कर (नेल्लिसारा शिविर को तीर्थहल्ली खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: शिवमोग्गा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: तीर्थहल्ली					
गांव का नाम: कुदुमल्लिगे					
1	5	निजी	गार्डन	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
गांव का नाम: लिंगपुरा					
2	130	सरकारी	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
3	134/2	निजी	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
4	139/1	निजी	वेट/गार्डन	606 (वर्ग मीटर)	0.0606
5	144	निजी	वेट/गार्डन	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
6	153	निजी	ड्राय/गार्डन	3333 (वर्ग मीटर)	0.3333
7	56	निजी	वेट/गार्डन	606 (वर्ग मीटर)	0.0606
8	68/1	निजी	वेट	808 (वर्ग मीटर)	0.0808
9	69	निजी	ड्राय/एँनूएके	2020 (वर्ग मीटर)	0.202
10	70	निजी	वेट	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
11	77	निजी	ड्राय/गार्डन	1010 (वर्ग मीटर)	0.101
12	94	निजी	वेट	1414 (वर्ग मीटर)	0.1414
13	95/1B	निजी	वेट	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
14	95/5	निजी	वेट	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
गांव का नाम: ओडालामने					
15	4	निजी	वेट	1995 (वर्ग मीटर)	0.1995
गांव का नाम: भारतीपुरा					
16	148	निजी	गार्डन	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
17	149	निजी	गार्डन	101 (वर्ग मीटर)	0.0101

18	151	निजी	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
19	165	निजी	गार्डन	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
20	166	निजी	गार्डन	707 (वर्ग मीटर)	0.0707
21	173	निजी	वेट	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
22	193	निजी	वेट	808 (वर्ग मीटर)	0.0808
23	194	निजी	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
24	208	निजी	एँनूएके/वेट	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
25	65	निजी	गार्डन	1010 (वर्ग मीटर)	0.101
26	80	निजी	गार्डन	303 (वर्ग मीटर)	0.0303
गांव का नाम: थिरर्थहल्ली टाउन					
27	59/8	निजी	गार्डन	101 (वर्ग मीटर)	0.0101
28	66	सरकारी	वेट	1717 (वर्ग मीटर)	0.1717
29	70	सामान्य	एँनूएके (गवर्नमेंट/प्राइवेट)	1717 (वर्ग मीटर)	0.1717
30	73	सरकारी	वेट	2020 (वर्ग मीटर)	0.202
गांव का नाम: बेगुवल्ली					
31	1	निजी	वेट	1616 (वर्ग मीटर)	0.1616
32	108	निजी	गार्डन	1616 (वर्ग मीटर)	0.1616
गांव का नाम: दुडुरु					
33	14	निजी	ड्राय	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
34	155	निजी	वेट	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
35	18	निजी	ड्राय	1313 (वर्ग मीटर)	0.1313
36	20	निजी	वेट	808 (वर्ग मीटर)	0.0808
37	87	निजी	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
38	88	निजी	वेट	3434 (वर्ग मीटर)	0.3434
39	99	निजी	ड्राय	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
40	Settlement	निजी	एँनूएके	505 (वर्ग मीटर)	0.0505
गांव का नाम: कुडिगे (गाबादी)					
41	106	निजी	ड्राय	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
42	118	निजी	वेट	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
43	95	निजी	वेट	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
44	99	निजी	गार्डन	404 (वर्ग मीटर)	0.0404
गांव का नाम: मलुरु					

45	69	सरकारी	ड्राय	1717 (वर्ग मीटर)	0.1717
Total					3.7749

[फा. सं. RW/NH/169/KNT/2022/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 296(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH169 in the stretch of land from design Km 25.15 to km 60.00(Except Ch Km 52.70 to km 53.50) of (Nellisara camp to Thirthahalli section) in the district of SHIVAMOGGA in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer and Competent, Authority National Highway, K.R Circle, Bangalore. in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from design Km 25.15to km 60.00(Except Ch Km 52.70 to km 53.50) of (Nellisara camp to Thirthahalli section) of NH169 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: SHIVAMOGGA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Tirthahalli					
Village: Kudumallige					
1	5	Private	Garden	303 (Square Meter)	0.0303
Village: Lingapura					
2	130	Government	Wet	202 (Square Meter)	0.0202
3	134/2	Private	Wet	202 (Square Meter)	0.0202
4	139/1	Private	Wet/Garden	606 (Square Meter)	0.0606

5	144	Private	Wet/Garden	505 (Square Meter)	0.0505
6	153	Private	Dry/Garden	3333 (Square Meter)	0.3333
7	56	Private	Wet/Garden	606 (Square Meter)	0.0606
8	68/1	Private	Wet	808 (Square Meter)	0.0808
9	69	Private	Dry/NAK	2020 (Square Meter)	0.202
10	70	Private	Wet	303 (Square Meter)	0.0303
11	77	Private	Dry/Garden	1010 (Square Meter)	0.101
12	94	Private	Wet	1414 (Square Meter)	0.1414
13	95/1B	Private	Wet	303 (Square Meter)	0.0303
14	95/5	Private	Wet	101 (Square Meter)	0.0101
Village: Odalamane					
15	4	Private	Wet	1995 (Square Meter)	0.1995
Village: Bharathipura					
16	148	Private	Garden	101 (Square Meter)	0.0101
17	149	Private	Garden	101 (Square Meter)	0.0101
18	151	Private	Wet	202 (Square Meter)	0.0202
19	165	Private	Garden	101 (Square Meter)	0.0101
20	166	Private	Garden	707 (Square Meter)	0.0707
21	173	Private	Wet	505 (Square Meter)	0.0505
22	193	Private	Wet	808 (Square Meter)	0.0808
23	194	Private	Wet	202 (Square Meter)	0.0202
24	208	Private	NAK/Wet	505 (Square Meter)	0.0505
25	65	Private	Garden	1010 (Square Meter)	0.101
26	80	Private	Garden	303 (Square Meter)	0.0303
Village: Thirthahalli Town					
27	59/8	Private	Garden	101 (Square Meter)	0.0101
28	66	Government	Wet	1717 (Square Meter)	0.1717
29	70	Common	NAK (Government/Private)	1717 (Square Meter)	0.1717
30	73	Government	Wet	2020 (Square Meter)	0.202
Village: Beguvalli					
31	1	Private	Wet	1616 (Square Meter)	0.1616
32	108	Private	Garden	1616 (Square Meter)	0.1616
Village: Tuduru					
33	14	Private	Dry	404 (Square Meter)	0.0404

34	155	Private	Wet	505 (Square Meter)	0.0505
35	18	Private	Dry	1313 (Square Meter)	0.1313
36	20	Private	Wet	808 (Square Meter)	0.0808
37	87	Private	Wet	202 (Square Meter)	0.0202
38	88	Private	Wet	3434 (Square Meter)	0.3434
39	99	Private	Dry	404 (Square Meter)	0.0404
40	Settlement	Private	NAK	505 (Square Meter)	0.0505
Village: Kudige (Gabadi)					
41	106	Private	Dry	202 (Square Meter)	0.0202
42	118	Private	Wet	404 (Square Meter)	0.0404
43	95	Private	Wet	404 (Square Meter)	0.0404
44	99	Private	Garden	404 (Square Meter)	0.0404
Village: Maluru					
45	69	Government	Dry	1717 (Square Meter)	0.1717
Total					3.7749

[F. No. RW/NH/169/KNT/2022/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director